SDO सा० की आज्ञा से

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आये। वकील प्रार्थी को उपस्थिति एवं तामली पेश करने के अवसर दिये गये, अंतिम अवसर भी दिया गया चुका है, उपस्थित नहीं आये। लगातार आवाजें लगाई गई उपस्थित नहीं आये। पत्रावली अदम पैरवी में खारिज की जाती है, वोकील शुभार होकर नेगा से काम हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.10.28 16:28:19 IST
Reason: SelfAttested